

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क0-216/2014
संस्थित दिनांक-14.03.2014
फा.नंबर 234503001802014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र-बिरसा, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!!विरुद्ध!!

रहेन्द्र मरकाम पिता धीरपाल, उम्र-34 वर्ष, जाति गोंड
निवासी केवलारी थाना बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(दिनांक 06/06/2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 19.02.2014 को समय रात्रि करीब 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत अभिनव पेट्रोल पंप के सामने ग्राम दमोह के लोकमार्ग पर कंटेनर क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर भगतलाल को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने व वाहन को घटना के उपरान्त घटनास्थल पर छोड़कर भागने, आहत को चिकित्सा उपलब्ध न करवाने एवं थाने में सूचना नहीं देने, इस प्रकार धारा 279, 338 भा.दं.वि. एवं 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

03:- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 19.02.14 को रात 08:00 बजे आहत भगतलाल अपनी मोटरसायकिल से ग्राम धोपघट से दमोह अपने घर जा रहा था। अभिनव पेट्रोल पंप के सामने दमोह में वाहन कंटेनर क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 खड़ा हुआ था। वाहन के चालक आरोपी ने उक्त वाहन को एकदम से चालू करके तेजी व लापरवाही से आगे बढ़ा दिया, जिसकी ठोकर लगने से आहत भगतलाल गिर गया और उसका हाथ टूट गया। घटना के उपरान्त आहत को ईलाज के लिये बालाघाट ले गये। आहत को सुश्रुत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से कोतवाली बालाघाट में घटना की तहरीर भेजी गई थी। घटना थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत

होने से थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 24/14 धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आहत को गंभीर उपहति होने से धारा 338 भा.द.वि. का ईजाफा कर आवश्यक अन्वेषण उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.02.2014 को समय रात्रि करीब 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत अभिनव पेट्रोल पंप के सामने ग्राम दमोह के लोकमार्ग पर कंटेनर क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर भगतलाल को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को घटना के उपरान्त घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया, आहत को चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाया एवं थाने में सूचना नहीं दिया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:—01 लगायत 03

06:— प्रकरण में सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या आहत भगतलाल को दुर्घटना में घोर उपहति कारित हुयी थी। भगतलाल अ.सा.01 ने बताया कि घटना दिनांक 19.02.2014 को रात 08:00 बजे जब वह अपनी मोटरसायकिल से ग्राम कनारीटोला जा रहा था, तब कंटेनर चालक ने उसकी

मोटरसायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे उसका बांया हाथ टूट गया था। उसका ईलाज सुश्रुत अस्पताल बालाघाट में हुआ था। आहत के दुर्घटना में हाथ टूटने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। भरत अ. सा.02 ने बताया कि भगतलाल की दुर्घटना हुई थी, उसके हाथ में चोट आयी थी।

07:— डॉक्टर विकास बिसेन अ.सा.09 ने बताया कि दिनांक 20.02.14 को सुश्रुत अस्पताल बालाघाट में उसने आहत भगत पिता खनवार ठाकरे उम्र 42 वर्ष निवासी दमोह थाना बिरसा का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत को लाने वालों ने दुर्घटना से चोट आना बताया था। जिसके संबंध में उसने तहरीर प्रपी-16 कोतवाली बालाघाट को भेजा था। आहत के परीक्षण के दौरान उसने उसकी बांयी भुजा में दर्द एवं सूजन होना पाया था। उसने आहत को एक्स-रे की सलाह भी दिया था। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-14 के अनुसार आहत के बांये भुजा की ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था, चोट गंभीर प्रकृति की थी, जो परीक्षण के 12 घंटे के भीतर कड़े एवं बोथरे वस्तु से पहुंचाई गई थी। उसके द्वारा किया गया मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-15 एवं आहत की बेड हेड टिकिट प्रपी-13 है। प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी ने बताया है कि आहत के परिजनों ने मोटरसायकिल दुर्घटना से चोट आना बताया था। इस प्रकार आहत भगतलाल अ.सा.01 के कथन एवं चिकित्सक साक्षी डॉक्टर विकास बिसेन अ.सा.09 के कथन एवं एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-14 व मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-15 से आहत को दुर्घटना में घोर उपहति होना प्रमाणित है।

08:— अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा कंटेनर वाहन क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया गया था। भगतलाल अ.सा.01 ने बताया कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना दिनांक 19.02.14 को रात 08:00 बजे वह मोटर सायकिल से ग्राम कनारीटोला जा रहा था। ग्राम दमोह में अभिनव पेट्रोल पंप के पास वह अपनी साईड से जा रहा था। उसी समय कंटेनर चालक ने कंटेनर चालू कर लिया और उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया जिससे गिरने के कारण उसका हाथ टूट गया। चालक गाड़ी लेकर भाग गया

इसलिये वह चालक को नहीं देख पाया था। दुर्घटना कंटेनर चालक की गलती से हुयी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-01 तैयार किये थे। मोटरसायकिल को उसे सुपुर्दगी पर देकर सुपुर्दनामा प्रपी-02 तैयार किये थे।

09:— भगतलाल अ.सा.01 ने प्रति परीक्षण यह स्वीकार किया है कि उसके सामने खड़ा ट्रक कनारीटोला की ओर जाने के लिये आगे बढ़ा था, वह भी अपने गांव कनारीटोला जा रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि ट्रक आगे बढ़ा उस समय वह ट्रक के पीछे मोटरसायकिल से आ रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि उसका ध्यान पेट्रोल पंप की तरफ था और वह ट्रक को आगे बढ़ते हुये नहीं देख पाया और ट्रक के पीछे जाकर उसकी मोटरसायकिल ट्रक से टकरा गयी। यदि वह ट्रक को आगे बढ़ते देख लेता तो दुर्घटना नहीं होती। इस प्रकार से आहत के कथन से स्पष्ट है कि उसका ध्यान पेट्रोल पंप की ओर होने और सड़क पर ट्रक को नहीं देखने के कारण वह स्वयं जाकर ट्रक से टकराया। आहत के कथन से कंटेनर चालक की लापरवाही प्रकट नहीं होती है। भगतलाल अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय ट्रक के चालक व ट्रक का नंबर नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना कारित करने वाले वाहन व ट्रक चालक की पहचान भी नहीं किया है।

10:— भरतलाल अ.सा.02 ने बताया कि वह आरोपी को नहीं जानता। आहत भगतलाल को पहचानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 7-8 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर पर ही था। उसे भगतलाल के दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुयी तब वह घटनास्थल पर गया था। उसने स्वयं दुर्घटना होते हुये नहीं देखा। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि कंटेनर के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर भगतलाल की मोटरसायकिल को टक्कर मार दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्रपी-03 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11:— मीना नायक अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता, आहत को जानता है। उसे दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है।

पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि कंटेनर के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर भगतलाल की मोटर सायकिल को टककर मार दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्रपी-04 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12:— मनोज अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। प्रकरण लगभग एक वर्ष पूर्व रात 8:00 बजे की है। वह दमोह स्थित पेट्रोल पंप के कार्यालय में बैठा था। आवाज आने पर बाहर निकलकर सड़क पर देखा तो भगत गिरा हुआ था। उसने बताया कि ट्रक से लगने के कारण वह गिर गया है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि कंटेनर के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर भगतलाल की मोटरसायकिल को टककर मार दिया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्रपी-05 का कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत ने उसे स्वयं की गलती से ट्रक के पीछे भाग से टकराना बताया था।

13:— लक्ष्मण अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना वर्ष 2014 के शाम लगभग 06:00 बजे की है। वह अपने घर ग्राम कबराटोला में था, उसी समय फोन से भगतलाल के दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुयी तब वह घटनास्थल पर गया। घटनास्थल से उसके भाई भगतलाल को एम्बूलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने इससे इंकार किया है कि कंटेनर के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर भगतलाल की मोटरसायकिल को टककर मार दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

14:— अमरलाल अ.सा.06 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना दो वर्ष पूर्व रात 08:00 बजे की है। वह हार्डवेयर दुकान में काम कर रहा था, उसी समय उसे उसके चाचा भगतलाल के कंटेनर से दुर्घटना की जानकारी प्राप्त हुयी। घटनास्थल पर जब वह पहुंचा तो उसके

चाचा को अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस ने उसका बयान लिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इस साक्षी ने बताया है कि कंटेनर रहेन्द्र मरकाम चला रहा था, जिसका नंबर सी.जी.07एल.क्यू.5437 था। वह यह नहीं बता सकता कि ट्रक से दुर्घटना कैसे हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसने स्वयं दुर्घटना होते हुये नहीं देखा है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी बताया है कि कंटेनर के नंबर और ड्रायवर के बारे में उसने भगतलाल के बताने के आधार पर नंबर बताया है। किन्तु स्वयं भगत ने कंटेनर के नंबर के बारे में परीक्षण के दौरान नहीं बताया है। जिससे साक्षी अमरलाल अ.सा.06 का कथन विश्वास योग्य नहीं है।

15:— सुरेश नागेश्वर अ.सा.08 ने बताया है कि दिनांक 03.03.14 को बिरसा से अस्पताली तहरीर प्राप्त होने पर उसने अपराध क्रमांक 24/14 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं 134/184 मो.व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-07 पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान दिनांक 04.03.14 को घटनास्थल का मौकानक्शा प्रपी-01 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी भगतलाल एवं गवाह भरत, मीना नायक, मनोज कुमार दिनांक 10.03.14 को लक्ष्मण ठाकरे, अमरलाल ठाकरे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को वाहन स्वामी को धारा 133 मो. व्ही.एक्ट की नोटिस प्रपी-08 दिया था। नोटिस के जवाब प्रपी-09 में रहेन्द्र द्वारा वाहन चलाना बताया गया था। विवेचना के दौरान उसने आहत भगतलाल की मोटरसायकिल एम.पी.50एम.सी. 2693 का नुकसानी पंचनामा प्रपी-10 तैयार किया था और प्रार्थी भगतलाल को वाहन सुपुर्दगी पर देकर सुपुर्दनामा प्रपी-02 तैयार किया था। विवेचना के दौरान दिनांक 07.03.14 को कंटेनर क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-11 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसने वाहन का मेकेनिकल परीक्षण भी करवाया था और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-12 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि आहत की मोटरसायकिल कंटेनर से नहीं टकरायी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

16:— इस प्रकार प्रकरण में स्वयं आहत भगतलाल अ.सा.01 ने आरोपी की पहचान नहीं किया है। वाहन के चालक को नहीं देखना बताया है। साक्षी

भरत अ.सा.02, मीना नायक अ.सा.03, मनोज अ.सा.04, लक्ष्मण अ.सा.05, अमरलाल अ.सा.06 ने भी आरोपी की पहचान नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने आरोपी की पहचान नहीं की है। जिससे घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन चलाया जाना प्रमाणित नहीं है तथा स्वयं आहत भगतलाल ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका ध्यान पेट्रोल पंप की तरफ था और वह ट्रक को आगे बढ़ते हुये नहीं देख पाया और ट्रक के पीछे जाकर उसकी मोटरसायकिल ट्रक से टकरा गयी। यदि वह ट्रक को आगे बढ़ते देख लेता तो दुर्घटना नहीं होती। इस प्रकार से आहत के कथन से स्पष्ट है कि उसका ध्यान पेट्रोल पंप की ओर होने और सड़क पर ट्रक को नहीं देखने के कारण वह स्वयं जाकर ट्रक से टकराया। आहत के कथन से कंटेनर चालक की लापरवाही प्रकट नहीं है। अभियोजन के साक्षी भरत अ.सा.02, मीना नायक अ.सा.03, मनोज अ.सा.04, लक्ष्मण अ.सा.05, अमरलाल अ.सा.06 ने भी आरोपी द्वारा उपेक्षा व उतावलेपूर्वक वाहन चलाये जाने का कोई कथन नहीं किया है। आरोपी द्वारा ही ठोकर मारने की घटना प्रमाणित नहीं है। ऐसे में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन छोड़कर भाग गया, आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और पुलिस को सूचना नहीं दिया। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो. 79 म.प्र. अवलोकनीय है।

17:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.02.2014 को समय रात्रि करीब 20:00 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत अभिनव पेट्रोल पंप के सामने ग्राम दमोह के लोकमार्ग पर कंटेनर क्रमांक सी.जी.07एल.क्यू.5437 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर भगतलाल को टक्कर

मारकर घोर उपहति कारित किया व वाहन को घटना के उपरान्त घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया, आहत को चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवाया एवं थाने में सूचना नहीं दिया। फलतः आरोपी को धारा 279, 338 भा.दं.वि. एवं 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

20:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कंटेनर क्रमांक—सी.जी.07एल.क्यू.5437 आवेदिक कमलकिशोर पिता भैयालाल, जाति पवार, निवासी पौनी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)